

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

3(स०)/उ०स्था०(मुकदमा)०३/१४

अधिसूचना

- संख्या-3310..... श्री राम स्वारथ भूषण, सेवानिवृत्त कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर को दिनांक 09-04-2001 को 24 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 09-04-2001 से वेतनमान 10000-15200/- में द्वितीय ए०सी०पी० की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- संख्या-3311..... श्री चन्द्रगुप्त सिन्हा, सेवानिवृत्त परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा को दिनांक 04-03-2012 को 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् विभागीय परीक्षा से विमुक्ति की तिथि 04-12-2012 से पी०बी०-3, 15600-39100, ग्रेड पे-7600 में तृतीय एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- संख्या-3312..... श्री अर्जुन प्रसाद, परियोजना प्रबंधक सम्प्रति कार्यकारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगुसराय को दिनांक 04-03-2012 को 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् विभागीय परीक्षा से विमुक्ति की तिथि 04-12-2012 से पी०बी०-3, 15600-39100, ग्रेड पे-7600 में तृतीय एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- संख्या-3313..... श्री केशरी कुमार मिश्र, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ सम्प्रति कार्यकारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ को दिनांक 19-02-2012 को 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् विभागीय परीक्षा से विमुक्ति की तिथि 10-12-2012 से पी०बी०-3, 15600-39100, ग्रेड पे-7600 में तृतीय एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- संख्या-3314..... श्री राजेन्द्र प्रसाद, परियोजना प्रबंधक सम्प्रति उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), भागलपुर को दिनांक 20-02-2012 को 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् विभागीय परीक्षा से विमुक्ति की तिथि 11-12-2012 से पी०बी०-3, 15600-39100, ग्रेड पे-7600 में तृतीय एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- संख्या-3315..... श्री शिशिर कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद को दिनांक 19-02-2010 को 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 19-02-2010 से पी०बी०-2, 9300-34800, ग्रेड पे-5400 में तृतीय एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23-03-2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम-22(1) ए (i) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630 दिनांक 21-01-2010 की कंडिका-12 के अनुसार किया जायेगा।
3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-  
सरकार के उप सचिव  
कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

3(स०)/उ०स्था०(मुकदमा)03/14

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, इ-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी०डी० में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

3(स०)/उ०स्था०(मुकदमा)03/14

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(बै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

3(स०)/उ०स्था०(मुकदमा)03/14

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

3(स०)/उ०स्था०(मुकदमा)03/14

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

3(स०)/उ०स्था०(मुकदमा)03/14

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- 3315

पटना, दिनांक:- 13/08/2015

3(स०)/उ०स्था०(मुकदमा)03/14

प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को इस अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

— 13/8/2015  
सरकार के उप सचिव  
हस्ताक्षर